सत्यमेव जयते

26/8/21

पक्षकारान उप०

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC का जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी ने ए आर ओ डीडवाना मिस नं. 3501/166 दिनांक 16/9/1966 के आदेश अनुसार अवार्ड के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। जबकि 55 साल बाद लिमिटेशन अधिनियम के अनुसार कार्यवाही योग्य नहीं है। वादी का वाद स्वतः ही म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। वाद में वर्णित खेतों को वादी ने अलग-अलग समय सन् 1963 व 1970 में रजिस्टर्ड बेचान कर दिये है। बेचान कर देने से क्रेताओं का नाम खातेदारी में दर्ज हो चुका है। वादी का वाद बख्शीशनामा व विक्रय विलेखों को निरस्त के सम्बन्ध में भी म्याद बाहर है। वादी को उक्त किसी प्रकार का वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने से भी म्याद बाहर है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/8/21	वकील अप्रार्थी (वादी) ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ए.सा.ओ. नागौर के दिनांक 16/9/1966 के आदेश की वादी को जानकारी थी जानकारी हुई उक्त निर्णय खसरा नम्बरान की नकल लेकर नागौर के न्यायालय में घोषणा स्वामित्व का दावा पेश कर दिया। वादी ने फिर से कभी भी कोई बयान नहीं दिया है जो बयाननामा बता रहे हैं वह सब फर्जी बयान हैं। अतः प्रतिवादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस के तर्कों पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी (वादी के वारिसों) ने सन् 1963 व 1970 को अलग-अलग लोगों को रजिस्टर्ड बेचान कर दिया है तथा उनके नाम भी स्वामित्व के दर्ज हो गये हैं। अतः प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC के तथ्य सही होने से प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner